सिर्फ़ आधार कार्ड नहीं! जानिए वो दस्तावेज़ जो वास्तव में बनाता है भारतीय नागरिक

विषय सूची (Table of Contents):

>> मुख्य अपडेट्स (मुख्य समाचार)...
>> क़ानूनी ढाँचों की गहराई...
>> आइए देखें - कौन से दस्तावेज़ वास्तव में नागरिकता को प्रमाणित करते हैं...
>> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)...

कभी सोचा है कि वाकई में कौन सा दस्तावेज़ बताता है कि आप भारतीय नागरिक हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट के हाल के निर्णय ने यह सवाल फिर से ज़ोरदार कर दिया है। आइए जानें वो सच्चाई जो हर नागरिक को अवश्य पढ़नी चाहिए।

भारतीय नागरिकता कोई कार्ड नहीं बल्कि संविधान और नागरिकता कानून पर आधारित है। 1955 के नागरिकता कानून में जन्म, वंश, पंजीयन, प्राकृतिकिकरण और नए भूभाग के आधार पर नागरिकता मिलती है।

मुख्य अपडेट्स (मुख्य समाचार)

>> बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय: आधार, पैन, वोटर आईडी पहचान दस्तावेज़, नागरिकता साबित नहीं करते।

>> संविधान का लेख 5-11: 26 जनवरी 1950 से ज़्यादातर भारतीय नागरिक जन्म के आधार पर गिने जाते हैं।

>> 1955 का नागरिकता कानून: पाँच रास्ते जन्म, वंश, पंजीयन, प्राकृतिकिकरण, भूभाग, जिनके तहत नागरिकता प्राप्त की जा सकती है।

>> जन्म के बाद 1 जुलाई 1986 तक: विदेशी माता पिता होने पर भी फिनिशि स्टैटस समायोजित करना आवश्यक।

>> अतीत के विभाजन के दौरान की गई प्रवासियों के लिए विशेष शर्तें यह अभी भी लागू है।

क़ानूनी ढाँचों की गहराई

सरकार ने नागरिकता को आसानी से जाँचने के लिये किसी एकल दस्तावेज़ को अनिवार्य नहीं किया है। इसके बजाय निम्नलिखित कानूनी नियमों और नियमों का पालन किया जाता है:

>> जन्म के आधार पर नागरिकता1 जुलाई 1950 से पहले भारत में जन्म लेने वाले स्वचालित रूप से नागरिक।1 जुलाई 1986 के बाद जन्मे दोनों माता पिता भारतीय होने चाहिए, या एक माता पिता भारतीय और दूसरा विदेशी नहीं।

>> 1 जुलाई 1950 से पहले भारत में जन्म लेने वाले स्वचालित रूप से नागरिक।

>> 1 जुलाई 1986 के बाद जन्मे दोनों माता पिता भारतीय होने चाहिए, या एक माता पिता भारतीय और दूसरा विदेशी नहीं।

>> वंश के आधार पर नागरिकताभारत के बाहर जन्मे बच्चे, जिनके पिता या माता भारतीय नागरिक हैं।3 दिसम्बर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे एक वर्ष के भीतर दूतावास में पंजीकरण आवश्यक।

>> भारत के बाहर जन्मे बच्चे, जिनके पिता या माता भारतीय नागरिक हैं।

>> 3 दिसम्बर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे एक वर्ष के भीतर दूतावास में पंजीकरण आवश्यक।

>> पंजीयन (Registration) के तहत नागरिकतापरदेशी जो भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं, वे सेक्शन5 के तहत आवेदन कर सकते हैं मान्यताप्राप्त होने पर पहले की नागरिकता छोड़नी होगी।

>> परदेशी जो भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं, वे सेक्शन5 के तहत आवेदन कर सकते हैं मान्यताप्राप्त होने पर पहले की नागरिकता छोड़नी होगी।

>> प्राकृतिककरण (Naturalisation)किसी विशेष शर्त जैसे स्थायी निवास, भाषा दक्षता, आर्थिक योगदान को पूरा करने वाले परदेशी नागरिक भारत का नागरिक बन सकते हैं।

>> किसी विशेष शर्त जैसे स्थायी निवास, भाषा दक्षता, आर्थिक योगदान को पूरा करने वाले परदेशी नागरिक भारत का नागरिक बन सकते हैं।

>> भूभाग के आधार पर नागरिकतानए भूभाग के भारतीय हिस्से में आने वाले लोग, यदि वे पूर्व निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, तो स्वचालित रूप से नागरिकता मिल सकती है।

>> नए भूभाग के भारतीय हिस्से में आने वाले लोग, यदि वे पूर्व निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, तो स्वचालित रूप से नागरिकता मिल सकती है।

आइए देखें - कौन से दस्तावेज़ वास्तव में नागरिकता को प्रमाणित

>> पासपोर्ट यदि इसमें व्यक्ति का नाम और जन्मस्थान भारतीय हो, तो यह वैध प्रमाण है।

>> शैक्षणिक तथा सरकारी रोजगार कार्ड अक्सर जन्मस्थान और माता पिता की नागरिकता दर्शाते हैं।

>> रिलायंस कार्ड (कभी-कभी) यह भी वैध हो सकता है यदि उसमें नागरिकता का उल्लेख हो।

>> क़नूनी दर्जे के दस्तावेज़ जैसे कि हस्ताक्षरित पंजीयन फ़ॉर्म, प्राकृतिककरण प्रमाणपत्र आदि।

>> भतिः पंजीयन के प्रमाणपत्र विदेश में जन्मे बच्चों के लिए दूतावास में पंजीकरण के प्रमाणपत्र।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

पहला चरण: पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र दूसरा चरण: पंजीयन प्रमाणपत्र या प्राकृतिककरण प्रमाणपत्र तीसरा चरण: आय, निवास और नागरिकता धारणा वाले दस्तावेज़ जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी के साथ।

आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है नागरिकता साबित करने के लिए आधिकारिक दस्तावेज़ जैसे पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र ज़रूरी हैं।

1) पंजीयन फ़ॉर्म जमा 2) दस्तावेज़ों की जाँच (आय, निवास, भाषा) 3) सरकारी अनुमोदन 4) पहले की नागरिकता छोड़ना (यदि आवश्यक)।